(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश, बिहार आदि जैसे राज्यों में अपहरण की घटनाओं को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाए गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने इस संबंध में केन्द्रीय सरकार से कोई सहायता मांगी थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री जितेन्द्र सिंह)

**(क) से (घ) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।**

**-2-**

**दिनांक 29.8.2012 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 259 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण**

**(क) और (ख) : “पुलिस” और “लोक व्यवस्था” भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अन्तर्गत राज्य के विषय हैं और, इसलिए, अपहरण एवं व्यपहरण के अपराध सहित अपराधों की रोकथाम करने, पता लगाने, पंजीकरण करने और उनकी जांच-पडताल करने तथा अपने क्षेत्राधिकार के अन्दर अपनी विधि प्रवर्तन मशीनरी के माध्यम से अपराधियों पर अभियोजन चलाने के लिए राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन प्राथमिक रुप से उत्तरदायी हैं। तथापि, संघ सरकार अपराधों की रोकथाम और नियंत्रण के मामलों को अत्यधिक महत्व देती है। गृह मंत्रालय ने दिनांक 16 जुलाई, 2012 को सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अपराधों की रोकथाम के संबंध में एक समेकित पत्र जारी किया है। दुर्व्यापार को रोकने के आवश्यक उपायों और लापता बच्चों की तलाश करने के संबंध में दूसरा परामर्शी-पत्र दिनांक 31.01.2012 को जारी किया गया है जिसमें राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को दुर्व्यापार रोकने और बच्चों की तलाश करने के लिए आवश्यक विभिन्न उपाय करने की सलाह दी गई है।**

**(ग) से (घ) : इस विषय पर बिहार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोई विशिष्ट सहायता नहीं मांगी गई है।**